कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 4168 /XXV-50/2024 देहरादून दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

प्रेस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की जनपद रूद्रप्रयाग के 07–केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमती शैलारानी रावत के निधन के कारण रिक्त विधान सभा सदस्य हेतु उप निर्वाचन, 2024 के संबंध में अपने प्रेस नोट संख्या–ECI/PN/150/2024 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, जो निम्न प्रकार हैः–

1.	**अधिसूचना जारी होने की तिथि**	**22 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार)**
2.	**नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि**	**29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार)**
3.	**नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि**	**30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार)**
4.	**नाम वापसी की अंतिम तिथि**	**04 नवम्बर, 2024 (सोमवार)**
5.	**मतदान की तिथि**	**20 नवम्बर, 2024 (बुधवार)**
6.	**मतगणना की तिथि**	**23 नवम्बर, 2024 (शनिवार)**
7.	**वह दिनांक जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी**	**25 नवम्बर, 2024 (सोमवार)**

2– आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त उप निर्वाचन 01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जायेगा, हालांकि नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि तक निर्वाचक नामावली के निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के आधार पर जारी रहेगी। उक्त उप निर्वाचन में EVMs और VVPATs का प्रयोग किया जायेगा।

3– आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, निर्वाचक नामावली में दर्ज किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पहचान के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्र0सं0	**मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज**
1	आधार कार्ड
2	मनरेगा जॉब कार्ड
3	बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
4	श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5	ड्राईविंग लाइसेंस
6	पेन कार्ड
7	एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
8	भारतीय पासपोर्ट
9	फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
10	केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11	सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान–पत्र
12	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान–पत्र (यूडीआईडी)

4– आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के जनपद

.........2

रूद्रप्रयाग में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश संख्या 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 (BYE ELECTIONS) दिनांक 02 जनवरी, 2024 (जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के निर्देश लागू होगें।

5– उक्त उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समाचार पत्रों/टेलीविजन चैनलों में जानकारी तीन बार निर्धारित प्रारूपों/समय पर प्रकाशित/प्रसारित की जानी होगी। इसके साथ ही राजनैतिक दलों को, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को निर्वाचन हेतु खड़ा करता है, उसे अपनी वेबसाइट और समाचार–पत्रों टेलीविजन चैनलों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप/समय पर जानकारी तीन बार प्रकाशित/प्रसारित की जानी होगी।

6– निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से जारी अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश संख्या 3/ER/2023/SDR/Vol.IV दिनांक 03 मई, 2024 के पैरा–5 (जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के निर्देश लागू होगें।

7– राजनैतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश संख्या 3/4/2021/SDR/Vol.III दिनांक 11 जनवरी, 2022 (जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के अनुसार अपने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का विवरण उनके चयन के 48 घण्टे के अन्तर्गत समाचार–पत्रों/आधिकारिक सोशलमीडिया प्लेटफॉम पर उपलब्ध कराने के साथ–साथ अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यंक होगा।

Signed by
Mastu Das
Date: (मस्तू दास) [illegible] 17:56:55
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 4168 / XXV- 31/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3–समस्त प्रदेश अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री, मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4–महानिदेशक, सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को पांच प्रति इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित होने वाले समस्त समाचार पत्रों में प्रेसनोट प्रमुख रूप से निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।